

मांग संख्या 71
मुख्य शीर्ष 3275

मद क्रमांक 1

उद्यम पूंजी निधि हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 200.00 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है।
अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उद्यमियों को ऋण के लिए कार्पस निधि हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 200.00 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है।
अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

छत्तीसगढ़ नवाचार निधि हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100.00 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है।
अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5275

मद क्रमांक 4

संचार क्रांति योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 28340.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,83,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।